Indian Institute of Spices Research
Calicut-12
Sl/No. 18675
तारीख/Date 16/2

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 114
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 114

फा.सं. 5(1)/2011 – हिन्दी

दिनांक :–31 जनवरी, 2011

परिपत्र

विषयः–संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खण्डों में की गई सिफारिशों के संबंध में।

उपर्युक्त विषय में यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति को कारगर ढ़ंग से लागू करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत आठ खण्डों में सिफारिशें की गई हैं। उन सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इनमें से कुछ आदेशों का संबंध हमारे संगठन से भी है जिन पर परिषद द्वारा कार्रवाई की जानी है। इससे संबंधित खण्डवार आदेश संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर मदवार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

एस. अय्यप्पन

(एस. अय्यप्पन)

महानिदेशक, भा0कृ0अनु0प0

वितरणः–

1. भा0कृ0अनु0प0 के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक
2. भा0कृ0अनु0प0 के सभी अधिकारी/अनुभाग जिसमें कृ0अनु0म0–I और II पूसा, नई दिल्ली–12 भी शामिल हैं।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत प्रतिवेदन के पहले आठ खण्डों में की गई सिफारिशों पर किए गए महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों का खण्डवार विवरण इस प्रकार है:–

पहला खण्ड	
क्रम संख्या	राष्ट्रपति जी के आदेश
1.	राजभाषा अधिनियम की उपधारा 3(3) (iii) के अंतर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिन्दी में अनुदित कराकर द्विभाषी रूप में छपवाकर प्रयोग में लाए जाएं।
2.	कोडों/मैनुअलों के अनुवाद की व्यवस्था तत्काल की जाए।
3.	हिन्दी अधिकारियों तथा उनके ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए उच्च कोटि के अनुवाद तथा अनुवाद की पुनरीक्षा के प्रशिक्षण की यथोचित एवं यथावश्यक व्यवस्था की जाए।
4.	हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जाएं।
5.	उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बना दिया जाए।
दूसरा खण्ड	
1.	हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम के लिए पूरा–पूरा लाभ उठया जाए।
2.	जिन कर्मचारियों को अभी हिन्दी टाइपिंग अथवा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें एक समयबद्ध योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कराया जाए।
तीसरा खण्ड	
1.	हिन्दी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों के रोस्टर सभी कार्यालयों में नियमानुसार रखे जाएं।
2.	प्रशिक्षण संस्थानों में जहां दीर्घावधि के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वहां हिन्दी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए।
3.	केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हिन्दी में कराई जाए।
4.	कृषि, इंजीनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिन्दी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए की वहां जो भी विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से पढ़ना चाहे, उसे हिन्दी माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण दिया जाए।
5.	जहां–जहां भी संभव हो वहां और विशेषकर 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति और इस संबंध में जारी किए गए नियमों, आदेशों आदि की जानकारी भी दी जाए।
चौथा खण्ड	
1.	अधिकारियों/कर्मचारियों की मनोवृति बदलने हेतु और उन्हें राजभाषा नीति की व्यापक

	जानकारी कराने हेतु समय–समय पर गोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाएं।
2.	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3.	प्रत्येक छोटे बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, अनिवार्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए और कार्यालय अध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए।
4.	जो बहुत छोटे–छोटे मंत्रालय/विभाग हैं, उनमें संयुक्त रूप से हिन्दी सलाहकार समिति गठित की जाए।
5.	'क' क्षेत्र में परिचालित होने वाली कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि एवं संबंधित पत्राचार केवल हिन्दी में परिचालित किए जा सकते हैं।
6.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं तथा हिन्दी में मूल पत्राचार करने के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस उपाय करें।
7.	हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिन्दी में मूल काम करने में उपलब्ध सहायक हिन्दी पुस्तकों जैसे अंग्रेजी–हिन्दी और हिन्दी–अंग्रेजी शब्दकोश, सहायक और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलियां, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य तथा विविध विषयों पर बाजार में उपलब्ध इस प्रकार के साहित्य का पूरा प्रचार किया जाये और इनका निःशुल्क वितरण भी किया जाये। साथ ही हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए अनुदान का 50 प्रतिशत खर्च किया जाए।
8.	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालय अपने–अपने नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र–शीर्ष, लोगो आदि सभी द्विभाषी रूप में तैयार कराएं तथा 'ग' क्षेत्र स्थित कार्यालय इसे त्रिभाषी रूप में तैयार करवाएं तथा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए की सभी भाषाओं की लिपियों का आकार बराबर हो।
9.	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा–पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी रूप में हों और उनमें प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथा संभव हिन्दी में की जाएं।
10.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम–12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिन्दु स्थापित करें और इसे प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
11.	सभी कार्यालयों द्वारा केवल अंग्रेजी में प्रकाशन न निकाले जाएं बल्कि द्विभाषी रूप में प्रकाशन निकाले जाएं। हिन्दी प्रकाशनों की मुद्रित संख्या अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में कम न हो और द्विभाषी प्रकाशनों में हिन्दी के पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या से कम न हो।

	छठा खण्ड
1.	कृषि व इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों और आयुर्विज्ञान, व्यावसायिक विषयों आदि के पाठ्यक्रमों में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिए जाने संबंधी सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीघ्र समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करे।
2.	'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा, राजभाषा नियम, राजभाषा नीति, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन पर राष्ट्रपति जी के आदेश एवं इस संबंध में जारी आदेशों/अनुदेशों का पूर्ण ज्ञान नही है। अतः प्रशासनिक प्रधानों का यह दायित्व है कि वे इन आदेशों/अनुदेशों आदि की व्यापक जानकारी व उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।
3.	पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाए।
4.	'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं।
	सातवां खण्ड
1.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रधान अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित हों।
2.	विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के प्रकाशनों की कमी महसूस न हो इसके लिए संबंधित विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी में पुस्तक लिखने वाले लेखकों को आकर्षक पुरष्कार दिए जाने चाहिएं, साथ ही पुस्तक की उपयोगिता को देखते हुए समुचित रायल्टी देने का प्रावधान किया जाए।
3.	प्रत्येक स्तर पर हिन्दी के पदों का सजृन किया जाए।
4.	हिन्दी कार्यशालाओं में प्रख्यात हिन्दी के विद्वानों और सक्षम विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए।
5.	कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक दो सप्ताह में कम्प्यूटर पर हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को दो वर्ष की समय सीमा में कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए।
	आठवां खण्ड
1.	मंत्रालय/विभाग में अंग्रेजी के कोड/मैनुअलों को शीघ्र द्विभाषी करवाया जाए।
2.	सेवा पंजिकाओं/सेवा अभिलेखों में हिन्दी/द्विभाषी रूप में प्रविष्टियां की जाएं।
3.	कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर जांच बिन्दु बनाए जाएं।
4.	कार्यालय में जब भी हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाए, राजभाषा अधिनियम की धारा

	3(3) की अनिवार्यता पर हर कार्याशाला में कुछ समय आबंटित किया जाए।
5.	मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को उनका विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करने के साथ–साथ उन्हें अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए।
6.	'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों आदि में 50 %'ख' क्षेत्र के कार्यालयों में 30% और 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों में 20% अनुभागों को पूरा काम हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।
7.	कार्यालयों में सरल, सुबोध एवं उपयोगी हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाए।
8.	तकनीकी, वैज्ञानिक, शोध व अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित हिन्दी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए एवं उनके प्राप्ति स्त्रोतों की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ–साथ अन्य संभव साधनों द्वारा प्रयोक्ताओं को दी जाए।
9.	'क' एवं 'ख' क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर शोध, तकनीकी विषयों आदि की शिक्षा हिन्दी माध्यम से भी दी जाएं एवं पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें भी हिन्दी में तैयार की जाएं।
10.	केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय कम्प्यूटर पर देवनागरी प्रयोग के लिए केवल मानक एनकोडिंग (यानि यूनीकोड) फॉंट का प्रयोग करें।
11.	विश्वविद्यालयों/तकनीकी/व्यवसायिक/अनुसंधान संस्थाओं आदि की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तर देने के लिए अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी का भी विकल्प प्रदान किए जाने हेतु उचित कार्रवाई की जाए।
12.	सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिन्दी और अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें।

FS.5(1)hindi